



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 313]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 28, 2012/आषाढ़ 7, 1934

No. 313]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 28, 2012/ASADHA 7, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2012

सा.का.नि. 513(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (घ) में 'तीन सौ पैंसठ दिन' शब्दों के स्थान पर 'पांच सौ पैंतालिस दिन' शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 25/3/2010-आरई]

डॉ. जी. वी. सुब्रह्मण्यम, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण.—मूल नियम भारत के राजपत्र में का.आ. 844(अ), तारीख 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सं. का.आ. 82(अ), तारीख 16 फरवरी, 1987; सं. का.आ. 64(अ), तारीख 18 जनवरी, 1988; सा.का.नि. 931(अ), तारीख 27 अक्टूबर, 1989; का.आ. 23(अ), तारीख 16 जनवरी, 1991; सा.का.नि. 95(अ), तारीख 12 फरवरी, 1992; सा.का.नि. 329(अ), तारीख 13 मार्च, 1992;

सा.का.नि. 562(अ), तारीख 27 मई, 1992; सा.का.नि. 884(अ), तारीख 20 नवम्बर, 1992; सा.का.नि. 386(अ), तारीख 22 अप्रैल, 1993; सा.का.नि. 422(अ), तारीख 19 मई, 1993; सा.का.नि. 801(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 1993; सा.का.नि. 320(अ), तारीख 16 मार्च, 1994; सा.का.नि. 560(अ), तारीख 19 सितम्बर, 1997; सा.का.नि. 378(अ), तारीख 30 जून, 1998; सा.का.नि. 7, तारीख 22 दिसम्बर, 1998; सा.का.नि. 407(अ), तारीख 31 मई, 2001; सा.का.नि. 826(अ), तारीख 16 नवम्बर, 2009 द्वारा उनमें पश्चात्पूर्ति संशोधन किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2012

G.S.R. 513(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in clause (d) of sub-rule (3) of rule 5, for the words "three hundred and sixty five days", the words "five hundred and forty five days" shall be substituted.

[F. No. 25/3/2010-RE]

Dr. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'

Footnote.—The principal rules were published *vide* number S.O. 844 (E), dated the 19th November, 1986 and subsequently amended *vide* number S.O. 82 (E), dated the 16th February, 1987; S.O. 64(E), dated the 18th January, 1988; G.S.R. 931(E), dated the 27th October, 1989;

S.O. 23(E), dated the 16th January, 1991; G.S. 95(E), dated the 12th February, 1992; G.S. 329(E), dated the 13th March, 1992; G.S. 562(E), dated the 27th May, 1992; G.S.R. 884(E) dated the 20th November, 1992; G.S.F. 386 (E), dated the 22nd April, 1993; G.S.F. 422(E), dated the 19th May, 1993; G.S.R. 801(E), dated the 31st December, 1993; G.S.R. 320(E) dated the 16th March, 1994; G.S.R. 560(E) dated the 19th September, 1997; G.S.R. 378(E) dated the 30th June, 1998; G.S.R. 7, dated the 22nd December, 1998; G.S.R. 407(E), dated the 31st May, 2001; and G.S.R. 826(E), dated the 16th November, 2009.